

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 109/2017
~~श्री. सु. कजोड़ व रवा निवाली मण्डी गुसाई एवं माण्डलगढ~~
 बनाम

- ① लक्ष्मण पिता उदा कामंड निवाली-मण्डी गुसाई
- ② लाला पिता उदा कामंड निवाली-मण्डी गुसाई
- ③ कैलाशपुरी पिता देवीपुरी गो स्वामी निवाली-मण्डी गुसाई
- ④ माधुपुरी पिता मंदपुरी गो स्वामी निवाली-मण्डी गुसाई
- ⑤ खाना पिता गंगा राम रवा निवाली-मण्डी गुसाई

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री ~~श्री. सु. कजोड़ व रवा निवाली मण्डी गुसाई~~ जरिये अभिभाषक श्री ~~सावर मल रवा~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~देवी सिंदरी का खंडा~~ प0ह0 मुकुन्दपुरिया तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0

100, 104, 105, 106, 110/2, 110/3 किता 6 रकबा किता 6 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~देवी सिंदरी का खंडा~~ की आराजी न0 ~~100, 104, 105, 106, 110/2, 110/3~~

- 6 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा ~~देवी सिंदरी का खंडा~~ की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 550 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।